न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक : अपील आर्म्स एक्ट 01/2014/भीलवाड़ा (2014/00009)

भंवर सिंह चूण्डावत पुत्र श्री राम सिंह चूण्डावत निवासी नेगडिया का खेड़ा तहसील सहाड़ा पुलिस स्टेशन गंगापुर जिला भीलवाड़ा।

अपीलान्ट

बनाम

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा।

रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत नियम 18 शस्त्र अधिनियम 1959 विरूद्व आदेश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा आदेश कमांक न्याय/आर्म्स/ आदेश /2012/डी–3066 दिंनाक 19.12.2012

————

उपस्थितः 1–श्री लेखू मंघानी अभिभाषक अपीलान्ट
2–श्री राजेश टण्डन, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 9–3–2018

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के नाम डबल बैरल गन संख्या 9564/उ–7 थी जिसका शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 35/PS/ KH/ Karan/ Oct. / DM / A.S.R /93(बी एच एल 4/2001) ले रखा था जो कि 31–12–2012 तक नवीनीकृत था। अपीलांट के पास डबल बैरल गन थी जिसका एक बैरल फट गया था इसी कारण अपीलांट ने दिनांक 10–12–2012 को जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त गन जिसका बैरल फट चुका है इसलिए अपीलांट उक्त गन /हथियार को शस्त्रागार में जमा कराना चाहता है। उक्त प्रार्थना पत्र में यह भी निवेदन किया था कि इस गन के 13 कारतूस जीवित है जिसे उनके पास जमा कराने की अनुमति प्रदान की जावे। जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने अपीलांट के उक्त प्रार्थना पत्र पर दिनांक 19–12–2012 को आदेश पारित कर अपीलांट के नाम जारी उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र को निरस्त करते हुए गन संख्या 9564/ए–7 तथा जीवित 13 कारतूस को

पुलिस थाना गंगापुर जिला भीलवाड़ा में जमा कराने की स्वीकृति प्रदान कर दी। उक्त आदेश से असन्तुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Sub-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलांट की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया कि अपीलांट के पास एग गन 9564/ए–7 थी लिसका एक बैरल फट गया था। अपीलांट सीमा सुरक्षा बल की 56वीं वाहिनी में राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के सतराना बोर्डर पर सेवारत है इसलिए पुलिस की परेशानियों से बचने के लिए अपीलांट ने उक्त गन को सरकारी शस्त्रागार में जमा कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया ताकि अपीलांट के ड्यूटी पर जोने के बाद पुलिस उनके परिवार को अनावश्यक परेशान न करे। परन्तु जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने अपीलांट के प्रार्थना पत्र को पढ़े बिना ही अपीलांट के नाम जारी डबल बैरल गन संख्या 9564/उ–7 थी जिसका शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 35/पी एस/के/एच/करण/ओसीटी/डीएम/ए.एस.आर/93(बी एच एल 4/2001) निरस्त करते हुए उक्त गन को जीवित 13 कारतूस सहित पुलिस थाना गंगापुर में जमा कराने के आदेश दिये। जबकि अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में शस्त्र अनुज्ञा पत्र को निरस्त करने का अनुरोध नहीं किया। अपीलांट ने जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा के समक्ष रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। तत्पश्चात अपीलांट द्वारा जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में न्याय शाखा में सम्पर्क किया तो उन्होंने बताया कि पूर्व आदेश दिनांक 19–12–2012 को रिव्यू किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः आप संभागीय आयुक्त, अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत करे। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं परिपत्रों में एवं आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (1) में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलान्ट् द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान

नहीं किया। आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (1) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि लाईसेंस को रिवोक/निलम्बन/निरस्त संबंधी आदेश पारित करने से पूर्व लाईसेंसधारी को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा का उक्त आदेश स्पीकिंग आदेश नहीं है। इस आदेश में लाईसेंस को निरस्त करने का कोई आधार अंकित नहीं किया है। अपीलांट के पास जो गन थी उसका एक बैरल फट जाने से एवं पुलिस की परेशानियों से बचने के लिए उक्त गन एवं 13 जीवित कारतूसों को जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा को केवल पुलिस थाना गंगापुर जिला भीलवाड़ा में जमा कराने हेतु अनुरोध किया था। लेकिन जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा प्रार्थना पत्र का अवलोकन किये बिना अपीलांट का लाईसेन्स नियम विरूद्ध निरस्त किया है। अपीलांट ने अपनी गन सरकारी शस्त्रागार में जमा कराने की अनुमति इसलिए ली थी क्योंकि इस गन का एक बैरल फट चुका था । गन की बैरल फट जाने के कारण उसका उपयोग किया जाना संभव नहीं होना बतलाया गया। इसके अलावा अपीलांट के अपनी ड्यूटी पर जाने के बाद गन में अन्य किसी प्रकार का हादसा न हो इस कारण अपीलांट ने उक्त गन को सरकारी शस्त्रागार में जमा कराने हेतु निवेदन किया था। अपीलांट ने जिला कार्यालय में सर्म्पक किया तब उन्होंने अपीलांट को बताया कि उनके नाम शस्त्र अनुज्ञा आदेश दिनांक 19–12–2012 द्वारा निरस्त कर दिया गया है। तत्पश्चात अपीलांट ने दिनांक 2–1–2013 को जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा के समक्ष रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें सम्पूर्ण परिस्थितियों एवं तथ्यों का उल्लेख करते हुए अपीलांट के नाम जारी शस्त्र को बहाल करते हुए नवीनीकरण आगामी तीन वर्षो के लिए किये जाने का निवेदन किया गया। उक्त रिव्यू प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाई नहीं की गई तत्पश्चात अपीलांट ने दिनांक 12.4.2013, 7–5–2013 तथा 10–6–2013 रिव्यू प्रार्थना पत्र लिखने के पश्चात भी कोई निर्णय नहीं लिया गया। अपीलांट फौज में नौकरी करता है तथा अपीलांट की गांव में कृषि भूमि है जिस पर अपीलांट व उसके परिवार वाले खेती करते है। अपीलांट जब भी गांव आता है तो कृषि भूमि पर खड़ी फसलों को जंगली जानवरों से सुरक्षा की दृष्टि से हथियार की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अपीलांट सेना से रिटायर्ड होने के बाद बैंक आदि कार्यालयों पर सुरक्षा गार्ड की हैसियत से नियोजन का प्रयास कर सकता है जिसके लिए हथियार लाईसेन्स का होना नितान्त आवश्यक है। उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट के नाम जारी डबल बैरल गन संख्या 9564/ A–7 थी जिसका शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 35/PS/ KH/ Karan/ Oct. / DM/ A.S.R /93(बी एच एल 4/2001) बहाल करते हुए इसका नवीनीकरण आगामी तीन वर्षो के लिए करने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलान्ट कि विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं परिपत्रानुसार शस्त्र अनुज्ञापत्र धारी के चरित्र की सत्यापन रिपोर्ट एवं लाईसेंसधारी की पृष्ठ भूमि आपराधिक नहीं हो के संबंध में पुलिस विभाग से रिपोर्ट लिये जाने के पश्चात अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किये जाते है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा अपीलांट भंवर सिंह के प्रार्थना पत्र के आधार पर शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या डबल बैरल गन संख्या 9564/ A–7 जिसका शस्त्र अनुज्ञा पत्र

संख्या 35/ PS/ KH/ Karan/Oct./ DM/ A.S.R/93(बी एच एल 4/2001) जो कि दिनांक 31–12–2012 तक नवीनीकृत था, में से एक बैरल फट जाने से उपलब्ध 13 जतीवित कारतूसों सहित संबंधित थाने में जमा कराने हेतु आवेदन किया। जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, अमृतसर से जारी उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र को निरस्त कर इसमें दर्ज हथियार 12 बोर डबल बेरल गन संख्या 9564/ए–7 मय 13 कारतूसों को पुलिस थाना गंगापुर जिला भीलवाड़ा में जमा कराने के साथ ही हथियार एवं कारतूसों को राजकोष में जमा कराने की स्वीकृति प्रदान की है जो सुरक्षा की दृष्टि से उचित एवं विधिसम्मत है। अतः अपीलांट की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे हमारे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट होते है कि जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा अपीलांट भंवर सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर अपीलांट के नाम जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र डबल बैरल गन संख्या 9564/ए–7 थी जिसका शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 35/PS/KH/Karan/Oct./DM/A.S.R/93(B.H.L 4/2001) को निरस्त कर हथियार मय जीवित 13 कारतूस सहित राजकोष में जमा कराने की स्वीकृति प्रदान की है। जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा से प्राप्त पत्रावली का अवलोकन किया जिसमें संलग्न अपीलांट के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें अपीलांट द्वारा डबल बेरल 12 बोर गन लाईसेन्स संख्या 9564/ए–7 जिसका शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 35/ PS/KH/Karan/Oct./DM/A.S.R/93(B.H.L 4/2001) और जिसका एक बेरल फट चुका था, को सरकारी शस्त्रागार में जमा कराना चाहता था। उक्त शस्त्र दिनांक 31–12–2012 तक वैद्य है। जो DM Bhilwara कार्यालय द्वारा ही नवीनीकृतकिया गया है। अपीलांट द्वारा उक्त शस्त्र को जीवित कारतूसों सहित सरकारी शस्त्रागार में जमा करने का निवेदन किया था। उक्त आवेदन पत्र में अपीलांट द्वारा शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त करने का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा कार्यालय में अपीलांट द्वारा उक्त आदेश को निरस्त करने हेतु रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जिस पर DM Bhilwara द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। अपीलांट सीमा सुरक्षा बल की 56वीं वाहिनी में राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के सतराना बोर्डर पर सेवारत है इसलिए पुलिस की परेशानियों से बचने के लिए अपीलांट ने उक्त गन को सरकारी शस्त्रागार में जमा कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया ताकि अपीलांट के ड्यूटी पर जाने के बाद पुलिस उनके परिवार को अनावश्यक परेशान न करे। अपीलांट को सेवानिवृत पश्चात बैंक आदि जगह सुरक्षा गार्ड की नौकरी करने के लिए उक्त गन के लिए लाईसेंस का नवीनीकरण होना आवश्यक है। अपीलांट के पास हथियार होने से वह सेवानिवृति पश्चात सुरक्षा गार्ड की नौकरी एवं खेतीबाड़ी के दौरान जंगली जानवरों से सुरक्षा कर सकता है। जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा अपीलांट के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किये बिना एवं अपीलांट को आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (1) के तहत सुनवाई का अवसर दिये बिना शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त कर उक्त हथियार

एवं कारतूसों को राजकोष में जमा कराने की स्वीकृति प्रदान कर दी जो विधिसम्मत नहीं है। उक्त प्रकरण में पत्रावली में उपलब्ध सभी तथ्यों की एवं राज्य सरकार के परिपत्र/आदेशों के परिप्रेक्ष्य में पुनः जांच किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में हमें जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य प्रतीत होता है, लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर भीलवाड़ा) का अपीलाधीन आदेश क्रमांक/न्याय/आर्म्स/ आदेश/ 2012 / डी–3066 दिनांक 19–12–2012 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है और प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र का अवलोकन कर एवं अपीलांट को पुनः सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

यह निर्णय आज दिनांक 9–3–2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर